प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 02 जुलाई, 2014**

विषय- जिम्नास्टिक संघ, इलाहाबाद के जिम्नास्टिक हाल के वातानुकूलन के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 59/नि0 इलाहाबाद जिमना0 पत्रा0/2013-14, दिनांक 25 अप्रैल, 2014 एवं पत्र संख्या- जी0- 117/नि0 इलाहाबाद जिमना0 पत्रा0/2013-14, दिनांक 22 मई, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 551/बयालिस-2014-5(निर्माण)/2011टी0सी0, दिनांक 29 मार्च, 2014 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 31-03-2014 द्वारा वित्तीय वर्ष- 2013-14 में इलाहाबाद जिम्नास्टिक हाल के वातानुकूलन के लिए रू0 484.32 लाख (रू0 चार करोड़ चौरासी लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 242.16 लाख अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गयी थी तथा शासनादेश संख्या- 953ए/बयालिस-2014-5(निर्माण)/2011टी0सी0, दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 242.16 लाख को कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रथम किश्त आहरित न हो पाने की स्थिति में आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 22-05-2014 द्वारा किये गये प्रस्ताव के क्रम में पी0एल0ए0 में रखी धनराशि रू0 242.16 लाख (रू0 दो करोड़ बयालिस लाख सोलह हजार मात्र) को प्रथम किश्त मानते हुए उक्त धनराशि को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)- आयकर के रूप में 02 प्रतिशत की गयी कटौती को समायोजित करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि पुन: आयकर की कटौती न हो।

(3)- शेष शर्ते मूल शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2014 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 31 मार्च, 2014 के अनुरूप यथावत रहेगी।

.....2/

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-849/दस-2014, दिनांक 27 जून, 2014 में प्राप्त् उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या- 1315(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/आदर्श कोषागार कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
(4)- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, इलाहाबाद।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, लखनऊ।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियमंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन अनुभाग- 4
(9)- मुख्य संरक्षक, इलाहाबाद जिम्नास्टिक एसोसिएशन, इलाहाबाद।
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in